पत्र सं0-बजट-वाद बजट मॉग- (2020-21)/ 834 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(बजट अनुभाग)
लखनऊ // दिनॉक // 21-12-,2021

समस्त एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1 वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

प्राय: सज्ञान में आ रहा है कि जनपदीय कार्यालयों द्वारा न्यायालय से निस्तारित वाद से सम्बन्धित अर्थदण्ड वसूली, डिक्री आदि जैसे आदेशों के भुगतान हेतु बिना समक्ष स्तर की स्वीकृत/ अनुमोदन के बजट की मॉग हेतु बजट अनुभाग से बजट प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस प्रकार के व्यय हेतु लेखा अनुभाग द्वारा बजट आवंटन प्राप्त स्वीकृतियों / समक्ष स्तर के अनुमोदन/ विभागीय समीक्षा समिति की संस्तुतियों के परिपालन में किया जाता है। इस अनुभाग द्वारा किसी भी प्रकार का अनुमोदन/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का कार्य नही किया जाता है।

अत: आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार के प्रकरणों के निस्तारण हेतु पत्राचार वाद अनुभाग अथवा सम्बन्धित अनुभाग से करने का कष्ट करें, ताकि सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदन/ स्वीकृति के आधार पर समयान्तर्गत बजट आवंटन की कार्यवाही की जा सके।

यहॉ यह भी अवगत कराना है कि यदि उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण किये बिना बजट आवंटन हेतु मॉग की जाती है, तो सम्बन्धित मॉग पर कोई कार्यवाही इस अनुभाग द्वारा किया जाना सम्भव नही होगा एवं किसी अन्य प्रतिकूल दशा में पूर्ण उत्तरदायित्व मांगकर्ता का ही होगा।

(शैलेश गिरि),
एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- **समस्त** ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र सं0-बजट-वाद बजट मॉग- (2020-21)/ 834 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0

(बजट अनुभाग)

लखनऊ // दिनॉक // 21-12-,2021

समस्त एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1 वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश।

प्राय: संज्ञान में आ रहा है कि जनपदीय कार्यालयों द्वारा न्यायालय से निस्तारित वाद से सम्बन्धित अर्थदण्ड वसूली, डिक्री आदि जैसे आदेशों के भुगतान हेतु बिना समक्ष स्तर की स्वीकृत/ अनुमोदन के बजट की मॉग हेतु बजट अनुभाग से बजट प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस प्रकार के व्यय हेतु लेखा अनुभाग द्वारा बजट आवंटन प्राप्त स्वीकृतियों / समक्ष स्तर के अनुमोदन/ विभागीय समीक्षा समिति की संस्तुतियों के परिपालन में किया जाता है। इस अनुभाग द्वारा किसी भी प्रकार का अनुमोदन/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का कार्य नही किया जाता है।

अत: आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार के प्रकरणों के निस्तारण हेतु पत्राचार वाद अनुभाग अथवा सम्बन्धित अनुभाग से करने का कष्ट करें, ताकि सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदन/ स्वीकृति के आधार पर समयान्तर्गत बजट आवंटन की कार्यवाही की जा सके।

यहॉ यह भी अवगत कराना है कि यदि उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण किये बिना बजट आवंटन हेतु मॉग की जाती है, तो सम्बन्धित मॉग पर कोई कार्यवाही इस अनुभाग द्वारा किया जाना सम्भव नही होगा एवं किसी अन्य प्रतिकूल दशा में पूर्ण उत्तरदायित्व मांगकर्ता का ही होगा।

(शैलेश गिरि),

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्तः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- **समस्त** ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Official action